संख्या-43/2020/1845/22-2-2018-17(411)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छविनाथ उर्फ छत्रपाल पुत्र श्री रामसिंह, निवासी जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक 07.08.2018 दिनांक 06.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी छविनाथ उर्फ छत्रपाल पुत्र श्री रामसिंह, जो मो0 बनिया वार्ड नं0-04, थाना-बजीरगंज, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.08.1990 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-526/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-05, बदायूँ के आदेश दिनांक 05.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक ने बन्दी के उग्र स्वभाव के होने के कारण बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होन की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रि0) संख्या-10918/2019 छविनाथ उर्फ छत्रपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य योजित की गयी जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2019 के अनपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी छविनाथ उर्फ छत्रपाल (बन्दी संख्या-43166) पुत्र श्री रामसिंह, निवासी जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2020/1845(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in